



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062025-264222
CG-DL-E-28062025-264222

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]
No. 460]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ़ 6, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASHADHA 6, 1947

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून 2025

संख्या 1-सीए(7)/227/2025—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का एक प्रारूप, जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् बनाने का प्रस्ताव करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें इन प्रारूप विनियमों का प्रकाशन किया जाता है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किए जाने हेतु, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 को संबोधित करते हुए ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संस्थान को अग्रेषित कर सकेगा ;

ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- I. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (पहला संशोधन) विनियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में,—
विनियम 204 में,
(i) “अंतर्राष्ट्रीय कराधान” शब्दों के पश्चात्, “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;
(ii) “प्रबंधन और व्यवसाय वित्त” शब्दों के पश्चात्, “और फॉरेंसिक जांच” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./193/2025-26]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना संख्या 1-सीए (7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/201/2023, तारीख 21 जून, 2023 द्वारा किया गया था।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2025

No.1-CA(7)/227/2025.—The following draft of certain regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which these draft regulations are published, are made available to the public;

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India within the period so specified addressed to the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified shall be taken into consideration by the Council.

Draft Regulations

- I. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (First Amendment) Regulations, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

II. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, -

In Regulation 204,

- (i) After the words, “International Taxation”, the word “and” shall be omitted.
- (ii) After the words, Management and Business Finance, the words, “and Forensic Investigation” shall be inserted.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./193/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and lastly amended vide Notification No.1-CA(7)/201/2023 dated 21st June, 2023.